

Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd.
(A successor Company of CSEB)
O/o The Chief Engineer (C&CP)
CSPGCL, Shed no.6, Vidyut Sewa Bhawan Complex Dagania, Raipur (C.G.) 492013
Phone: 0771-2574097, Fax : 0771-2574806

PUBLIC NOTICE

In accordance to the relevant provisions of the CSERC (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi- Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2015, Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd (CSPGCL) has submitted a petition regarding Marwa Thermal Power Project (no. 31/2018) before Hon'ble Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC). This Petition contains prayer for approval of True up of ARR for FY 2015-16, Provisional True up of FY 2016-17, and Tariff determination for FY 2018-19 to FY 2020-21 for 2 x 500 MW Marwa Thermal Power Project, in addition to Revised Capital cost approval before Hon'ble Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC).

Copy of the petition is available at Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, irrigation colony, Shanti Nagar, Raipur and at the office of Chief Engineer (C&CP), CSPGCL at Daganिया, Raipur, which can be purchased on any working day on payment of Rs.200/-. The same may also be obtained by post on payment of additional charge of Rs.50/- for each. Copy of this notice and the petition are also available on website www.cspc.co.in and www.cserc.gov.in.

Objections / suggestions on the aforesaid portion of the petition, related to the True up of ARR for FY 2015-16, Provisional True up of FY 2016-17, and Tariff determination for FY 2018-19 to FY 2020-21, may be sent to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, Shanti Nagar, Raipur with a copy to Chief Engineer (C&CP), CSPGCL at Danganिया, Raipur, office within 21 days from date of publication of this notice. Advance copies of objections/comments may be sent through fax to CSERC at fax no. 0771-4073553 and to CSPGCL at fax no. 0771-2574806. The Commission may give a chance to the persons filing the objections/suggestions to participate in hearing. Date and place of hearing may be published by the CSERC separately.

Chief Engineer (C & CP)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित,
(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी)
कार्यालय मुख्य अभियंता (सी.एण्ड सी.पी.)
छ.ग.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. शेड नं. 6, विद्युत सेवा भवन परिसर, डंगनिया, रायपुर
फोन नम्बर 0771-2574097, फैक्स नम्बर 0771-2574806

आमसूचना

छ.रा.वि.नि.आ. (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के निर्धारण हेतु पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के द्वारा 2x500 MW मड़वा से संबंधित एक याचिका (क्र. 31/2018) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है। संदर्भित याचिका में परियोजना की वर्ष 2015-16 को वार्षिक राजस्व आवश्यकता के वास्तविकीकरण, वर्ष 2016-17 के वार्षिक राजस्व आवश्यकता के प्रावधिक वास्तविकीकरण तथा शेष नियंत्रण अवधि अर्थात् वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक के विद्युत दर निर्धारण हेतु प्रार्थना शामिल है।

उपरोक्त याचिका की प्रतियां छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांतिनगर रायपुर के कार्यालय में तथा मुख्य अभियंता (सी. एण्ड सी.पी.), छ0रा0वि0उत्पा0कं0मर्या0, डंगनिया, रायपुर के कार्यालय में उपलब्ध हैं, जो कि किसी भी कार्यालयीन दिवस में ₹. 200/- का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति ₹. 50 (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। इस आमसूचना एवं याचिका की प्रति वेबसाइट www.cspc.co.in एवं वेबसाइट www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

याचिका के उपरोक्त उल्लेखित अंश (वर्ष 2015-16 के वार्षिक राजस्व आवश्यकता के वास्तविकीकरण, वर्ष 2016-17 के वार्षिक राजस्व आवश्यकता के प्रावधिक वास्तविकीकरण तथा शेष नियंत्रण अवधि अर्थात् वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक के विद्युत दर निर्धारण हेतु प्रार्थना) पर सुझाव व आपत्ति, इस आमसूचना के जारी होने के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, शांति नगर रायपुर के कार्यालय एवं प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (सी. एण्ड सी.पी.), छ.रा.वि. उत्पा.कं. मर्या., डंगनिया, रायपुर के कार्यालय को प्रेषित किये जा सकते हैं। सुझाव/आपत्तियों की अग्रिम प्रति फैक्स द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोग को फैक्स नम्बर 0771-4073553 एवं छ.रा.वि.उत्पा.कं. मर्या. को फैक्स नम्बर 0771-2574806 पर भेजी जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आपत्ति/सुझाव दर्ज कराने वाले व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई में सम्मिलित होने का अवसर दे सकता है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक का प्रकाशन आयोग द्वारा पृथक से किया जा सकता है।

मुख्य अभियंता (सी.एण्ड सी.पी.)

Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd.
(A successor Company of CSEB)
O/o The Chief Engineer (C&CP)
CSPGCL, Shed no.6, Vidyut Sewa Bhawan Complex Dagania, Raipur (C.G.) 492013
Phone: 0771-2574097, Fax : 0771-2574806

PUBLIC NOTICE

In accordance to the relevant provisions of the CSERC (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi- Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2015, Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd (CSPGCL) has submitted a petition regarding Marwa Thermal Power Project (no. 31/2018) before Hon'ble Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC). The Petition contains, prayer for approval of revised capital cost of the 2 X 500 MW Marwa Thermal Power Project along with other prayers.

Copy of the petition is available at Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, irrigation colony, Shanti Nagar, Raipur and at the office of Chief Engineer (C&CP), CSPGCL at Daganिया, Raipur, which can be purchased on any working day on payment of Rs.200/-. The same may also be obtained by post on payment of additional charge of Rs.50/- for each. Copy of this notice and the petition are also available on website www.cspc.co.in and www.cserc.gov.in.

Objections / suggestions on the aforesaid petition, as far as it relates to the approval of revised capital cost, may be sent to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, Shanti Nagar, Raipur with a copy to Chief Engineer (C&CP), CSPGCL at Danganिया, Raipur, office within 21 days from date of publication of this notice. Advance copies of objections/comments may be sent through fax to CSERC at fax no. 0771-4073553 and to CSPGCL at fax no. 0771-2574806. The Commission may give a chance to the persons filing the objections/suggestions to participate in hearing. Date and place of hearing may be published by the CSERC separately.

Chief Engineer (C & CP)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित,
(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी)
कार्यालय मुख्य अभियंता (सी.एण्ड सी.पी.)
छ.ग.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. शेड नं. 6, विद्युत सेवा भवन परिसर, डंगनिया, रायपुर
फोन नम्बर 0771-2574097, फैक्स नम्बर 0771-2574806

आमसूचना

छ.रा.वि.नि.आ. (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के निर्धारण हेतु पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के द्वारा 2x500 MW मड़वा से संबंधित एक याचिका (क्रमांक 31/2018) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त याचिका में, मड़वा ताप विद्युत परियोजना की संशोधित पूंजीगत लागत के अनुमोदन की प्रार्थना के अतिरिक्त अन्य प्रार्थनाएँ भी शामिल हैं।

उपरोक्त याचिका की प्रतियाँ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांतिनगर रायपुर के कार्यालय में तथा मुख्य अभियंता (सी. एण्ड सी.पी.), छ0रा0वि0उत्पा0कं0मर्या0, डंगनिया, रायपुर के कार्यालय में उपलब्ध हैं, जो कि किसी भी कार्यालयीन दिवस में ₹. 200/- का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति ₹. 50 (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। इस आमसूचना एवं याचिका की प्रति वेबसाइट www.cspc.co.in एवं वेबसाइट www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उपरोक्त याचिका पर, जहाँ तक कि वह संशोधित पूंजीगत लागत के अनुमोदन से संबंधित है, आपत्ति/सुझाव, इस आमसूचना के जारी होने के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, शांति नगर रायपुर के कार्यालय एवं प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (सी. एण्ड सी.पी.), छ.रा.वि. उत्पा.कं. मर्या., डंगनिया, रायपुर के कार्यालय को प्रेषित किये जा सकते हैं। सुझाव/आपत्तियों की अग्रिम प्रति फैक्स द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोग को फैक्स नम्बर 0771-4073553 एवं छ.रा.वि.उत्पा.कं. मर्या. को फैक्स नम्बर 0771-2574806 पर भेजी जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आपत्ति/सुझाव दर्ज कराने वाले व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई में सम्मिलित होने का अवसर दे सकता है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक का प्रकाशन आयोग द्वारा पृथक से किया जा सकता है।

मुख्य अभियंता (सी.एण्ड सी.पी.)